

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- स्कूल शिक्षा विभाग
विभागाध्यक्ष- आयुक्त, लोक शिक्षण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना	प्राथमिक से लेकर कालेज स्तर तक विद्यार्थियों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाना	45000	दुर्घटना जन्य होने पर संभावित 5500 विद्यार्थियों के बीमा राशि प्रतिपूर्ति	
2	अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना ।	871856	कक्षा 1ली से 8वीं तक 364600 एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक 22300 कुल 386900 विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है ।	
3	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का प्रदाय	कक्षा 01 से 10 तक के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करना	1086800	5454000 विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है ।	
4	छात्राओं को गणवेश वितरण योजना	कक्षा 01 से 05 तक के अनु.जाति/जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को निःशुल्क गणवेश प्रदान करना	764700	ए.पी.एल. छात्रों को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है। 682900 विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है।	
5	समग्र शिक्षा	1. 06 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना । 2. हाई स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देना	14800000	कक्षा 1ली से 8वीं तक के 2694000 एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 1098000 विद्यार्थी कुल 3792000 विद्यार्थियों को लाभावन्वित करने का लक्ष्य है।	
6	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	1. प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के तहत छात्रों की दर्ज संख्या में वृद्धि, 2. छात्रों की उपस्थिति में नियमितता लाना (विशेषकर कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों) 3. शाला त्यागी बच्चों के दर में कमी लाना	3629637	समस्त शास. प्राथमिक शाला, शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक शाला, पंजीकृत अनुदान प्राप्त मदरसों एवं बाल श्रम विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है । 1780000 विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है।	
7	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन	1. प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के तहत छात्रों की दर्ज संख्या में वृद्धि, 2. छात्रों की उपस्थिति में नियमितता लाना (विशेषकर कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों)	2804118		

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- स्कूल शिक्षा विभाग
विभागाध्यक्ष- आयुक्त, लोक शिक्षण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		3. शाला त्यागी बच्चों के दर में कमी लाना		समस्त शास.पूर्व माध्यमिक शाला, अनुदान प्राप्त पूर्व माध्यमिक, पंजीकृत अनुदान प्राप्त मदरसों एवं श्रम विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों पका हुआ भोजन दिया जाता है । 1070000 विद्यार्थियों क लक्ष्य निर्धारित है ।	
8	मुख्यमंत्री अमृत योजना	प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन के साथ सोया दूध के रूप में पौष्टिक आहार प्रदान करना	57100	विद्यार्थियों को अतिरिक्त पोषण के रूप में सोया दूध प्रदान किये जाने का लक्ष्य है । यह योजना इस वर्ष पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कबीरधाम एवं बस्तर जिले में प्रारंभ किया गया है । लगभग 250000 विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है ।	
9	पुस्तकालय योजना	समस्त हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्य. शालाओं में ग्रंथालय की स्थापना कर विद्यार्थियों को पुस्तक उपलब्ध कराना	15400	राज्य के हाई स्कूल एवं उच्च.माध्य.विद्यालयों में इस योजना के तहत ग्रंथालय हेतु पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है । 150 शालाओं का लक्ष्य निर्धारित है ।	
10	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	अनु.जाति एवं अनु. जनजाति की समस्त छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बढ़ावा	646000	शासकीय तथा शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं के कक्षा 09वीं में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति-जन जाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्राओं निःशुल्क सायकल प्रदान किये जाने हेतु प्रावधान किया गया है । 176000 छात्राओं का लक्ष्य निर्धारित है ।	
11	सैनिक स्कूल की स्थापना	ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास करके सेना के अधिकारी वर्ग में प्रवेश के लिये तैयार करना ।	62950	अंबिकापुर जिले के मेण्ड्राकला में सैनिक स्कूल प्रारंभ किया गया है । 600 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे ।	
12	युवा कैरियर निर्माण	कक्षा 10 एवं 12वीं के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना ।	5300		

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- स्कूल शिक्षा विभाग
विभागाध्यक्ष- आयुक्त, लोक शिक्षण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
				कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके च्वाईस अनुसार विषय चुनने का अवसर प्रदान करने हेतु शाला स्तर पर लगभग 62600 विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करना ।	
13	टायपिंग बोर्ड का गठन	हिन्दी व अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा का आयोजन करना	350	लगभग 8500 विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का लक्ष्य है।	
14	मदरसा बोर्ड	धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा सुनिश्चित करना	75000	राज्य के पंजीकृत मदरसों के लगभग 20780 विद्यार्थियों निःशुल्क गुणवत्ता पूरक आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है ।	
15	संस्कृत बोर्ड	संस्कृत भाषा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ना	35830	210 स्कूलों के 13975 विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश, पाठ्य पुस्तकें एवं संस्कृत प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने का लक्ष्य है ।	
16	शिक्षकों को पुरस्कार	शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट शिक्षण कार्यों के लिये पुरस्कृत किया जाता है ।	8643	1. राज्य शिक्षक पुरस्कार- प्रत्येक जिले के 2 शिक्षकों को कुल 58 शिक्षकों को पुरस्कार वितरण 2. मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण पुरस्कार संभाग स्तर पर प्रति संभाग 03 कुल 15 पुरस्कार, जिला स्तर पर प्रति जिला 03 कुल 87 एवं विकासखण्ड स्तर पर 03 शिक्षक कुल 438 पुरस्कार दिया जाता है । (संभाग स्तर पर 10000/-, जिला स्तर पर 7000/- एवं विकासखण्ड स्तर पर 5000/- प्रति शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है)	
17	कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना	कक्षा 06 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कन्याओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना	60000		

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- स्कूल शिक्षा विभाग
विभागाध्यक्ष- आयुक्त, लोक शिक्षण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
18	राज्य छात्रवृत्ति	कक्षा 03री से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को 10 माह के लिये राज्य छात्रवृत्ति देना	1650010	अनुसूचित जाति वर्ग की 40000 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की 80000 कन्याओं को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का लक्ष्य है । कक्षा 03री से 12वीं के अनुसूचित जाति वर्ग के 450000 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 700000 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 1100000 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का लक्ष्य है।	
19	मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना	प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं कक्षा में प्रावीण्यता के आधार पर एकमुश्त एक बार प्रोत्साहन देना	15000	कक्षा 10वीं एवं 12वीं के अनुसूचित जाति के 300 एवं जनजाति के 700 कुल 1000 छात्र-छात्राओं को प्रावीण्य के आधार पर प्रति वर्ष एकमुश्त एक बार 15000/- प्रोत्साहन राशि वितरित की जाती है ।	
20	छात्रवृत्ति	कक्षा 09वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना	60020	1. कक्षा 09वीं एवं 10वीं के अनुसूचित जाति वर्ग 100000 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का लक्ष्य है । 2. कक्षा 11वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति वर्ग के 51000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने का लक्ष्य	
21	एकीकृत अम्ब्रेला योजना	अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान की एकीकृत योजना	530050	कक्षा 09वीं एवं 10वीं के 200000 छात्र- छात्राओं को राज्य छात्रवृत्ति दिये जाने का लक्ष्य है ।	
22	मॉडल स्कूल	राज्य में उच्च शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाना	307600	शैक्षणिक रूप से पिछड़े 72 विकासखण्डों में पी.पी. मोड पर शाला संचालन कर 27000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य	